राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 1/धौलपुर 1987-88

यह प्रमाणित किया जाता है कि इन्दिरा गांधी शिक्षा संस्थान धौलपुर जिला धौलपुर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 16 माह अप्रेल सन् एक हजार नौ सौ सत्तासी को धौलपुर में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएं

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर

इन्दिरा गांधी शिक्षा संस्थान की रूपरेखा

विधान नियमावली

1. समिति का नाम:- इन्दिरा गांधी शिक्षा संस्थान धौलपुर रहेगा ।
2. समिति का पता:- इन्दिरा गांधी शिक्षा संस्थान जी. टी. रोड, धौलपुर ।
3. कार्य क्षेत्र :- इस समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान राज्य रहेगा ।
4. समिति के उद्देश्य :- समिति के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे :-

1. भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन आदर्शों के आधार पर ऐसी शिक्षा के प्रचार व प्रसार की व्यवस्था करना जिससे छात्र व समाज में देश भक्ति स्वावलम्बन, अनुशासन प्रगतिशीलता, उत्तरदायित्व और निर्भरता आदि गुणों के संस्कार मिल सकें ।
2. समिति के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु विद्यालयों महाविद्यालयों, छात्रावासों प्रौढ़-शिक्षा केन्द्रों और उद्योग शालाओं आदि का निर्माण करना तथा अन्य आवश्यक प्रयत्न का निर्णय करना ।
3. अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु साहित्य एवं सामग्री का प्रकाशन संकलन व वितरण करना
4. सामान्य उद्देश्यों को लेकर अन्य शिक्षण संस्थाओं के साथ सम्पर्क व सम्बन्ध स्थापित करना ।
5. अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चल अचल सम्पत्ति का क्रय करना व दान से धन संग्रह करना तथा योग्य छात्र-छात्राओं व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सहायता देना ।
6. समुदाय, धर्म, जाति या प्रान्तीय भेदों से ऊपर उठकर सभी भारतीयों को समिति के सार्वजनिक सर्व हितैषी कार्यों से लाभान्वित करना ।
7. महिला शिक्षा एवं उत्थान कार्यक्रमों का संचालन एवं आयोजन करना जिससे वे अपने जीविकोपार्जन में स्वावलम्बी बन सकें ।
8. विकलांग, गूंगे बहरे बेवा यतीम बच्चों आदि के लिए पृथक शिक्षा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण देकर उन्हें जीवन निर्वाह की ओर अग्रसर करना तथा अन्य प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना ।
9. ~~केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन जैसे मानव संसाधन सामाजिक कल्याण तथा सम्पूर्ण कल्याणकारी विकास योजनायें।~~
10. ~~संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों द्वारा जैसे विश्व स्वास्थ्य मिशन, यूनेस्को, यूनीसेफ चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं~~ का क्रियान्वयन करना ।
11. ~~उद्योग विभाग, खादी बोर्ड पर्यावरण विभाग, साक्षरता, शिक्षाकर्मी परियोजना, नियोजन लोक जुम्बिश आदि योजनाओं का संचालन~~ करना ।
12. ~~संगीतकला, नृत्यकला, शिल्पकला, चित्रकला, पत्रकारिता, भारतीय तथा विदेशी भाषाओं के शिक्षण के लिए अकादमियों की स्थापना करना ।~~
13. ~~मेडीकल सर्विसेज, आयुर्वेद चिकित्सा, पोलीटेक्निक, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर, पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, डिग्री~~ आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व ~~राज्य सरकार से मान्यता~~ प्राप्त करना ।

क्रमशः-2.....

(1)

इन्दिरा गांधी शिक्षा संस्थान की रूपरेखा [illegible]

विधान नियमावली

1. समिति का नाम:- इन्दिरा गांधी शिक्षा संस्थान धौलपुर रहेगा ।
2. समिति का पता:- इन्दिरा गांधी शिक्षा संस्थान जी. टी. रोड, धौलपुर ।
3. कार्य क्षेत्र :- इस समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान राज्य रहेगा ।
4. समिति के उद्देश्य :- समिति के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे :-
   1. भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन आदर्शों के आधार पर ऐसी शिक्षा के प्रचार व प्रसार की व्यवस्था करना जिससे छात्र व समाज में देश भक्ति स्वावलम्बन, अनुशासन प्रगतिशीलता, उत्तरदायित्व और निर्भरता आदि गुणों के संस्कार मिल सकें ।
   2. समिति के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु विद्यालयों महाविद्यालयों, छात्रावासों प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों और उद्योग शाखाओं आदि का निर्माण करना तथा अन्य आवश्यक प्रयत्न का निर्णय करना ।
   3. अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु साहित्य एवं सामग्री का प्रकाशन संकलन व वितरण करना
   4. सामान्य उद्देश्यों को लेकर अन्य शिक्षण संस्थाओं के साथ सम्पर्क व सम्बन्ध स्थापित करना ।
   5. अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चल अचल सम्पत्ति का क्रय करना व दान से धन संग्रह करना तथा योग्य छात्र-छात्राओं व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सहायता देना ।
   6. समुदाय, धर्म, जाति या प्रान्तीय भेदों से ऊपर उठकर सभी भारतीयों को समिति के सार्वजनिक एवं हितैषी कार्यों से लाभान्वित करना ।
   7. महिला शिक्षा एवं उत्थान कार्यक्रमों का संचालन एवं आयोजन करना जिससे ये अपने जीविकोपार्जन में स्वावलम्बी बन सकें ।
   8. विकलांग, गूंगे बहरे बेवा यतीम बच्चों आदि के लिए पृथक शिक्षा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण देकर उन्हें जीव निर्वाह की ओर अग्रसर करना तथा अन्य प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना ।
   9. ~~केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन जैसे मानव संसाधन, सामाजिक कल्याण तथा सम्पूर्ण कल्याणकारी विकास योजनायें।~~
   10. ~~संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों द्वारा जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, यूनीसेफ चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं~~ का क्रियान्वयन करना ।
   11. ~~उद्योग विभाग, खादी बोर्ड पर्यावरण विभाग, साक्षरता, शिक्षाकर्मी परिवार, नियोजन लोक जुम्बिश आदि योजनाओं का संचालन~~ करना ।
   12. ~~संगीतकला, नृत्यकला, शिल्पकला, चित्रकला, पत्रकारिता, भारतीय तथा विदेशी भाषाओं के शिक्षण के लिए अकादमियों की स्थापना करना ।~~
   13. ~~मेडीकल सर्जरी, आयुर्वेद चिकित्सा, पोलीटेक्निक, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर, पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, डिग्री आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त करना ।~~

क्रमशः-2.....

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है ।

4. सदस्यता:-

समिति में निम्न प्रकार के सदस्य होंगे:-

1. संस्थापक सदस्य
2. साधारण सदस्य
3. अभिभावक सदस्य
4. पदेन सदस्य

सदस्यों द्वारा दिया जाने वाला चन्दा ।

		राशि	मासिक/तिमाही/वार्षिक/आजन्म
1.	संस्थापक सदस्य	1000/-	वार्षिक
2.	साधारण सदस्य	500/-	वार्षिक
3.	अभिभावक सदस्य	250/-	वार्षिक
4.	पदेन सदस्य	150/-	वार्षिक

Kamakshi

अध्यक्ष

मंत्री

5. सदस्यता :-

1. निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे ।

1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों ।
2. बालिग हों ।
3. पागल, दीवालिये न हों ।
4. संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों ।
5. संस्था के हित में सर्वोपरि समझते हों ।

6. सदस्यता निष्कासन :-

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार से किया जा सकेगा ।

1. मृत्यु होने पर ।
2. त्याग पत्र देने पर ।
3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
4. प्रबन्धकारिणी द्वारा निकाले जाने पर ।

उक्त प्रकार के निष्कासन को अपनी 15 दिन के अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु अपेक्षा समझी जायेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

सचिव
इन्दिरा गांधी शिक्षा संस्थान
जी० टी० रोड धौलपुर (राज.)

निरंतर....3

Kamlesh

अध्यक्ष
इन्दिरा गांधी शिक्षण संस्थान
जी० टी० रोड, धौलपुर

मंत्री
इंदिरा गांधी शिक्षा...
जी० टी० रोड

5. सदस्यता :-

1. निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे ।

1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों ।
2. बालिग हो ।
3. पागल, दीवालिये न हों ।
4. संस्था के उद्देश्यों में निष्ठा व आस्था रखते हों ।
5. संस्था के हित में सर्वोपरि समझते हों ।

6. सदस्यता निष्कासन :-

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार से किया जा सकेगा ।

1. मृत्यु होने पर ।
2. त्याग पत्र देने पर ।
3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
4. प्रबन्धकारिणी द्वारा [illegible] किये जाने पर ।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु अपेक्षा समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

सचिव
इन्दिरा गांधी शिक्षा संस्थान
जी० टी० रोड, धौलपुर (राज.)

निरंतर....3

अध्यक्ष
इन्दिरा गांधी शिक्षा संस्थान
जी० टी० रोड, धौलपुर

मंत्री
इन्दिरा गांधी शिक्षा
जी० टी० रोड

7· साधारण सभा:-

समिति के संस्थापक सदस्यों, साधारण सदस्यों एवं अभिभावक सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा गठित होगी ।

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :-

अधिकार -

1· समिति के विकास के लिए अंतिम निर्णय साधारण सभा का होगा ।
2· विवाद की स्थिति में साधारण सभा के [illegible] बहुमत से निर्णय लिया जावेगा।
3· समिति के कार्यों पर [illegible] एवं पूर्ण अधिकार होगा ।
4· किसी भी प्रकार का संशोधन [illegible] सहमति से ही होगा ।
5· समिति अनावश्यक से साधारण सभा के प्रति उत्तरदायी होगी ।
6· समिति की प्रबन्ध कारिणी का गठन करना ।

कर्तव्य:-

1· समिति के विकास के लिए हार्दिक सहयोग प्रदान करना ।
2· साधारण सभा संस्था के [illegible] करेगी ।

साधारण सभा की बैठक :-

(क) साधारण सभा की बैठक [illegible] बार अवश्य होगी ।
(ख) साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई होगा जो सात से कम न हो ।
(ग) साधारण सभा की बैठक के लिए कम से कम 10 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।
(घ) आपात कालीन बैठक आवश्यकता [illegible] घण्टे पूर्व सूचना [illegible] जा सकेगी । व शर्त समस्त सदस्यों को सूचना [illegible] जावे ।
(ङ) गण पूर्ति के अभाव में स्थगित [illegible] की सूचना पर पुन: बुलाई जा सकती है जिसमें स्थगित बैठक के कोरम का 2/3 सदस्यों से कोरम पूर्ण माना जावेगा ।
(च) बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष द्वारा की जावेगी ।
(छ) अध्यक्ष के निर्णय से 24 घन्टे की सूचना पर बैठक स्थगित की जा सकती है।

8· कार्य कारिणी समिति का गठन:-

संस्था समिति की [illegible] संचालन हेतु धारा 9 के अनुसार गठित कार्यकारिणी समिति होगी जिसमें निम्न लिखित सदस्य होंगे:-

(क) पदाधिकारी

(अ)	अध्यक्ष	एक
(ब)	उपाध्यक्ष	एक
(स)	मन्त्री	एक
(द)	कोषाध्यक्ष	एक

Kamaksh

सचिव
मंत्री
उपाध्यक्ष

(छ)

(अ) साधारण सदस्यों में से	तीन.
(ब) अभिभावक प्रतिनिधि	एक
(स) अध्यापक प्रतिनिधि	एक
(द) शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि	एक
(य) व्यवस्थापिका [illegible] सदस्य	एक

9. चुनाव प्रक्रिया :-

कार्यकारिणी का चुनाव सदस्यों द्वारा किया जावेगा ।

(क) संस्थापक सदस्य अपने में से कार्यकारिणी के चार पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे ।

(ख) साधारण सदस्य अपने में से कार्यकारिणी के तीन सदस्यों का चुनाव करेंगे ।

(ग) एक अभिभावक प्रतिनिधि एवं एक अध्यापक प्रतिनिधि का मनोनयन पदाधिकारियों द्वारा [illegible] तथा शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत किया जावेगा ।

(घ) अध्यक्ष कार्य समिति [illegible] विशेष व्यक्तियों को [illegible] हेतु आवश्यकता अनुसार [illegible] आमन्त्रित करेंगे ।

10. कार्यकाल एवं बैठक :-

(1) कार्यकारिणी का चुनाव तीन वर्ष होने पर होगा ।

(2) चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा सम्पन्न होगा ।

(3) चुनाव अधिकारी की नियुक्ति [illegible] के द्वारा होगी ।

(4) वर्ष में कार्यकारिणी की [illegible] बैठकें होंगी ।

(5) बैठक हेतु कम से कम [illegible] पूर्व [illegible] देना आवश्यक होगा ।

(6) आवश्यक बैठक 24 घन्टे [illegible] सूचना पर बुलाई जा सकेगी ।

(7) बैठक का कोरम पांच सदस्यों का होगा ।

(8) स्थगित बैठक 2 घन्टे पूर्व सूचना पर बुलाई जा सकेगी जिसका कोरम स्थगित बैठक का 2/3 होगा ।

11. कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

(1) बजट स्वीकार करना ।

(2) समिति के [illegible] संस्थाओं का संचालन करना ।

(3) कार्य संचालन हेतु उप नियमों का [illegible] करना ।

(4) संचालन एवं व्यवस्थाओं के लिये उपसमितियों का गठन करना ।

(5) वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदमुक्ति की पुष्टि करना ।

(6) समिति के संचालन हेतु कोष एवं अचल सम्पत्ति प्राप्त करना व व्यवहार करना ।

Kamakshi

निरंतर....5

मंत्री

इंदिरा [illegible]

12. पदाधिकारियों के कर्तव्य :-

(1) अध्यक्ष
(क) समिति की बैठक की अध्यक्षता करना ।
(ख) बराबर मत होने पर निर्णायक मत देना ।
(ग) 100/- रु. की राशि व्यय करने की अनुमति देना।

(2) उपाध्यक्ष :
(क) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करना।
(ख) अध्यक्ष द्वारा लिखित में प्रतिनिहित किये गये अधिकार एवं कर्तव्यों का पालन करना ।

(3) मन्त्री.
(क) समिति की बैठक हेतु पूर्व सूचना निकलवाना ।

(4) कोषाध्यक्ष
(क) समिति के एवं संस्थाओं के वार्षिक बजट तैयार करना ।
(ख) वार्षिक अंकेक्षण हेतु लेखा तैयार करवाना ।
(ग) समिति के बैंक खाते में लेन देन हेतु देखें क्रमांक 12 (ख) के अनुसार उत्तरदायित्व होगा ।

(5) व्यवस्थापक
(क) समिति एवं उसके द्वारा चलने वाली संस्थाओं के संचालन की पूर्ण व्यवस्था देखना ।
(ख) वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदमुक्ति करना ।
(ग) संस्था के हिसाब पूर्ण रखना ।

13. सामान्य लेन देन का संचालन :-

(क) समिति का समस्त धन बैंक में रहेगा ।
(ख) आवश्यकतानुसार बैंक खाते में लेन देन व्यवस्थापक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

14. सम्पत्ति का हस्तान्तरण :-

(क) कार्यकारिणी की स्वीकृति के बाद व्यवस्थापक को चल या अचल सम्पत्ति प्राप्त करने व हस्तान्तरण करने का अधिकार होगा ।

15. नियमावली में परिवर्तन का प्रावधान :-

(1) नियमावली में परिवर्तन प्रावधान राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुसार किया जावेगा ।

16. आन्तरिक विघटन :-

(1) आन्तरिक विघटन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के आधार पर होगा ।

17. निरीक्षण :-

(1) रजिस्ट्रार संस्थायें राजस्थान को समिति के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा तथा उसके दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी ।

18. अंकेक्षण -

(1) समिति की आय-व्यय का नियमित लेखा रखा जावेगा तथा प्रति वर्ष पंजीकृत द्वारा अंकेक्षण करवाया जावेगा, जिसका प्रतिवेदन प्रति वर्ष साधारण सभा में रखा जावेगा।

Kamakola

निरंतर....5

(7)

17. परिसीमा:-

(1) संस्था को किसी कारण [illegible] करना पड़े तो उसकी समस्त धन अथवा सम्पत्ति [illegible] के निर्णय से किसी ऐसी सार्वजनिक एवं [illegible] संस्था को ही दी जा सकेगी, जिसके उद्देश्य इस समिति के उद्देश्यों के अनुकूल हों।

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त विवरण पूर्ण रूपेण सत्य है और [illegible] विवरण रजिस्टर में अंकित किया है।

सचिव
इन्दिरा गांधी शिक्षा संस्थान
[illegible] रोड धौलपुर (राज.)

अध्यक्ष
इन्दिरा गांधी शिक्षा संस्थान
[illegible] (राज.)

कोषाध्यक्ष
इन्दिरा गांधी शिक्षा संस्थान
[illegible] (राज.)

Re-Registered,
[illegible] /धौ./87-88
[illegible] सदस्यों की संख्या... 6
[illegible] पंजीयन... 15-7-97
[illegible] रजिस्ट्रार
धौलपुर

Kamakshi

अध्यक्ष
इन्दिरा गांधी [illegible]

मंत्री
इन्दिरा गांधी शिक्षा संस्थान
[illegible] रोड, धौलपुर

(Re-Regd.)
[illegible] का पंजीयन क्रमांक 11/धौ०/07-08
[illegible] का नाम [illegible] शिक्षा संस्थान धौलपुर
[illegible] (Re-Regd.)
[illegible] की संख्या... 6
[illegible] पंजीयन... 30/07/07
[illegible] रजिस्ट्रार
रजिस्ट्रार
संस्थायें धौलपुर (राज.)